रांची में, मंगलवार दिनांक 13 मार्च, 2018 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

1. श्री सतीश कुमार (द्वितीय सीमित बैच) झा०प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट गुमला, सम्प्रति– कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू को सेवा से मुक्त करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के अन्तर्गत योजना मद में स्वीकृत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं इसमें सृजित 02 (दो) राजपत्रित पद, 11 (ग्यारह) अराजपत्रित पदों सहित कुल 13 (तेरह) पदों को वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना मद से स्थापना व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए स्थायीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

3. साहेबगंज जिलांतर्गत साहेबगंज अंचल के मौजा–समदानाला थाना संख्या–01, खाता संख्या–82 एवं 83 एवं दाग संख्या–56 एवं 92 में अंतर्निहित कुल रकबा–0.115 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि किस्म–रास्ता (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–4306/रा० दिनांक 24.10.2014 की कंडिका–2 (i) के अनुसार तीन मापदण्डों के आधार पर निर्धारित दर के आलोक में संगणित सलामी की राशि रु0 43,470/– (तैंतालीस हजार चार सौ सत्तर) मात्र, सलामी का 5% वार्षिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य की राशि रु0 54,338/– (चौवन हजार तीन सौ अड़तीस) मात्र एवं वार्षिक व्यवसायिक लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 78,789/– (अठहत्तर हजार सात सौ नवासी) मात्र अर्थात कुल देय राशि रु0 1,76,597/– (एक लाख छिहत्तर हजार पांच सौ सनतानवे) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) मात्र भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अदायगी पर आई०डब्लू०टी०टी० के पहुँच पथ निर्माण हेतु भारतोय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकारण के पक्ष में सशुल्क स्थायो भू–हस्तांतरण करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

4.	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत विश्व बैंक सम्पोषित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढोकरण परियोजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन का निर्धारण करने एवं इन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2017–18 के अवधि विस्तार के संबंध में।	**स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

5.	झारखण्ड राज्यान्तर्गत निजी एवं सरकारी बी०एड० महाविद्यालयों के लिए शिक्षण शुल्क एंव नामांकन प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।	**स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

6.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत/संबंद्ध महाविद्यालय नहीं है, में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए रु0 15,76,99,600/– (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) मात्र के प्राक्कलित राशि के दर पर 07 (सात) डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कुल राशि रु0 1,10,38,97,200/– (एक अरब दस करोड़ अड़तीस लाख संतानवे हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग

7.	राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में साहेबगंज जिला के पतना में 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल रु0 5,12,82,600/– (पांच करोड़ बारह लाख बेरासी हजार छः सौ) मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

8.	झारखण्ड राज्य अन्तर्गत लघु खनिज से संबंधित DEIAA एवं DEAC द्वारा निर्गत किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए वर्तमान अधिरोपित परीक्षण शुल्क में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

श्रम नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग

9.	झारखण्ड राज्य बाल श्रमिक आयोग (सम्प्रति भंग) के तत्कालीन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एंव सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

10.	झारखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11.	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) की धारा–3 उपधारा (2) (स) एवं धारा–8 की उपधारा–(3) एवं शहरी क्षेत्र मार्ग–निर्देशिका निर्धारण नीति, 2006 के आलोक म चतरा जिलान्तर्गत, बचरा के 02 पंचायत को मिलाकर अंतिम रूप से बचरा नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	**स्वीकृत। अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

12.	सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों के अनुमान्यता के संबंध में।	**स्वीकृत। अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग

13. एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर एवं पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद के विभिन्न विभागों में अधिसूचना संख्या–109 (9) दिनांक 26.06.2015 द्वारा सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक एवं अधिसूचना संख्या–167 (9) दिनांक 05.09.2015 द्वारा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति को एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार पूर्व की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग

14. रांची अवस्थित नवनिर्मित राज्य योग केन्द्र भवन के संचालन हेतु *VVKI* के साथ *Memorandum of Understanding* के प्रारूप में सहमति के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(सुधीर त्रिपाठी)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड